राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई33/ले.टे/(एफ–670)/2018/ दिनांक :

आदेश

श्री मुखराम मीणा, लैब टेक्नीशियन स्थानान्तरणाधीन ने प्रर्थाना पत्र दिनांक 31.08.2018 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2209/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 की प्रति संलग्न कर आदेश की पालना में कार्यग्रहण कराने बाबत् निवेदन किया है।

निदेशालय के आदेश क्रमांक 597 दिनांक 29.06.2018 के क्रम संख्या 191 पर अंकितानुसार श्री मुखराम मीणा, लैब टेक्नीशियन का स्थानान्तरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डीगाबडा, अलवर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टोडाभीम, करौली में किया गया है।

उक्त आदेश के विरूद्व याचि द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2209/2018 दायर की जिसमें राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 निम्नानुसार है:–

" अपीलार्थी अपनी अपील में उठायें गये बिन्दुओं के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी को दिनांक 20.08.2018 तक प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिपेक्ष्य में दिनांक 10.09.2018 तक एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे"

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पत्नी राजकीय सेवा में स्टाफ नर्स के पद पर सामान्य चिकित्सालय अलवर में कार्यरत है तथा पिताजी वृद्वावस्था में है, जो अक्सर बीमार रहते है इनकी देखभाल अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा करना बताया है। इस प्रकार अपीलार्थी/प्रार्थी ने प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी पारिवारिक परिस्थितियों का उल्लेख किया है।

अतः अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थतियों के मध्यनजर एवं राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 की पालना में याचि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को एतद् द्वारा स्वीकर किया जाकर निदेशालय के आदेश क्रमांक 597 दिनांक 29.06.2018 के क्रम संख्या 191 पर अंकित श्री मुखराम मीणा, लैब टेक्नीशियन का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीगाबडा, अलवर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टोडाभीम, करौली किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है, फलस्वरूप अपीलार्थी श्री मुखराम मीणा, लैब टेक्नीशियन पूर्व की भांति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डीगाबडा, अलवर मे लैब टेक्नीशियन के पद पर पदस्थापित रहेगें।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई33/ले.टे/(एफ–670)/2018/ 628 दिनांक : 2.5/11/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) राजस्थान, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर/भरतपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर/करौली।
8. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डीगाबडा (अलवर)/टोडाभीम (करौली)
9. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
10. श्री मुखराम मीणा, लैब टेक्नीशियन को पालनार्थ।
11. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर